संख्या-1/3/2011-पी.एण्ड.पी.डब्ल्यू.(ई.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली
दिनांक: 25 मई, 2012
05 OCT 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 2006 पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की बढ़ाई गई कुटुम्ब पेंशन के नियतन के स्पष्टीकरण के संबंध में ।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार के आदेशों को सितम्बर, 2008 में इस विभाग द्वारा जारी किया गया था । 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के संबंध में कुटुम्ब पेंशन इस विभाग में कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी.एंडपी.डब्ल्यू.(ए)पार्ट-I, दिनांक 03/10/2008 और 14.10.08 द्वारा कार्यालय ज्ञापन 38/37/08-पी.एंडपी.डब्ल्यू.(ए) हेतु यथा उपबंधित दिनांक 01.01.06 से समेकित किया गया था ।

2. सामान्य दरों पर कुटुम्ब पेंशन का नियतन इस प्रावधान के अध्यधीन है कि किसी भी मामले में संशोधित कुटुम्ब पेंशन संशोधन पूर्व वेतनमान जिससे वह सेवानिवृत हुआ है से तदनुरूपी पे-बैंड जमा ग्रेड पे में वेतन से न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा । एच.ए.जी. और उससे ऊपर के वेतनमान के मामले में यह संशोधित वेतनमान का न्यूनतम 30 प्रतिशत होगा । 31.12.2005 को अथवा उससे सेवानिवृत/स्वर्गवासी कर्मचारियों के मामले में, बढ़ी दरों पर कुटुम्ब पेंशन को संशोधित किया जाना भी अपेक्षित था ।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रयोज्य अवधि के दौरान, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम पद के उप नियम 3(क) के अंतर्गत संशोधित बढ़ाई गई कुटुम्ब पेंशन कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू(ए), दिनांक 01.09.2008 के पैरा 4.1 के अनुसार भी तय की जाएगी । इसके अतिरिक्त, यह संशोधन पूर्व वेतनमान जिसमें पेंशनभोगी/दिवंगत कर्मचारी ने अंतिम कार्य किया था के तद्रूपी एच.ए.जी. और उससे ऊपर के मामले में वेतनमानों के न्यूनतम 50 प्रतिशत पे बैंड जमा ग्रेड पे में वेतन के न्यूनतम के कुल 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

4. ऐसे मामलों जहां सेवानिवृति पर प्राधिकृत पेंशन अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत से कम थी और 01.01.2006 के पश्चात् संशोधित पेंशन की धनराशि एच.ए.जी. और उससे ऊपर के मामले में संशोधित वेतनमानों के न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा पे बैंड जमा ग्रेड पे में वेतन के न्यूनतम के कुल 50 प्रतिशत से भी कम है संशोधित बढ़ाई गई कुटुम्ब पेंशन 50 प्रतिशत से कम हो सकती है और उस धनराशि तक प्रतिबंधित होगी ।

5. कोई पेंशनभोगी जो 01.01.2006 से पूर्व दिवंगत हो गया, के मामले में, 01.01.2006 की स्थिति के अनुसार, 01.01.2006 तक की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त के अनुसार संगणन के उद्देश्य हेतु सैद्धन्तिक संशोधित पेंशन पर ध्यान दिया जाएगा । सभी मामलों में, संशोधित बढ़ाई गई कुटुम्ब पेंशन की धनराशि एच.ए.जी. और उससे ऊपर के मामले में वेतनमानों के न्यूनतम के 30 प्रतिशत अथवा पे बैंड जमा ग्रेड पे में वेतन के न्यूनतम के कुल के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

6. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभागों के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के संबंध में, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

7. इसे वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की सहमति से उनके यू.ओ.सं0 253./ई.V./2012, दिनांक 26.04.2012 के द्वारा जारी किया जाता है ।

(के.के. मित्तल)

निदेशक

दूरभाष: 24624752

सभी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग/पेंशनभोगी-संगठन, महालेखानियंत्रक, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
05 OCT 2012
जारी किया/ISSUED